न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 01/2019

अनवान :

1. सुभाष पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी गांव नेठराना।
2. महेन्द्रसिंह पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी नेठराना।
3. शिशपाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक अनुतोष
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण : **वादी**
निर्णय **दिनांक : 21.2.19**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 बी आर डब्ल्यु के खाता सं0 7/5 के मु0नं0 26 के किला नं0 1 से 3, 8 से 10, 11/1 की 0.139 है0 किला नं0 12, 13, 18, 19, 22, 23 इस प्रकार कुल 3.175 है0 नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

चक 5 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 4/5 के मु0नं0 4 के किला नं0 17 एवं 24 की 0.506 है0 नहरी मय रास्ता कृषि भूमि देवीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। उपर वर्णित दोनों खातों की भूमि को वादी व प्रतिवादी सं0 1 से 3 संयुक्त रूप से काश्त करते एवं लगान अदा करते आ रहे है।

प्रतिवादी सं0 1 को उपरोक्त भूमि अपने पिता इन्द्राज से विरासतन प्राप्त हुई है उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पैत्रक व दादालाई सम्पति है। वाद कृषि भूमि महज परिवार का कर्ता होने के कारण प्रतिवादी देवीलाल के नाम दर्ज है जिससे वादी को ऋण आदि लेने में, कृषि भूमि को समतल उपजाऊ बनाने एवं अन्य मनमाफिक उपयोग उपभोग में लेने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 4 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में सुभाष पुत्र श्री देवीलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, नकल फोटो प्रति जमाबन्दी चक 3 बीआरडब्ल्यु खाता सं0 7/5 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 2, नकल फोटो प्रति जमाबन्दी चक 5 बीआरडब्ल्यु खाता सं0 4/5 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 3, शपथ पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता इन्द्राज से विरासतन प्राप्त हुई है जो कि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

संयुक्त हिन्दु परिवार की पैत्रक व दादालाई सम्पति है। वाद कृषि भूमि महज परिवार का कर्ता होने के कारण प्रतिवादी देवीलाल के नाम दर्ज है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 3 व 5 बीआरडब्ल्यु के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल को अपने पिता इन्द्राज से विरासतन प्राप्त होना व संयुक्त हिन्दु परिवार की पैत्रक व दादालाई सम्पति होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने नकल फोटो प्रति जमाबन्दी चक 3 बीआरडब्ल्यु खाता सं0 7/5 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 2, नकल फोटो प्रति जमाबन्दी चक 5 बीआरडब्ल्यु खाता सं0 4/5 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाई है उक्त प्रदर्शों में पुर्व की प्रविष्टियों में वाद भूमि वादी के दादा इन्द्राज वल्द बस्तीराम के नाम दर्ज है जिसके पश्चात् जरिऐ विरासतन इन्तकाल सं0 621 व 535 से इन्द्राज के वारिसान के नाम दर्ज होना व जरिऐ दस्तबरदारी इन्तकाल सं0 623 व 436 से देवीलाल व श्योचन्द पि0 इन्द्राज के नाम दर्ज होना व इसके पश्चात् खाता विभाजन होने पर जरिऐ इन्तकाल सं0 638 व 452 से देवीलाल पुत्र इन्द्राज व श्योचन्द पुत्र इन्द्राज के नाम खाता अलग अलग कायम किया जाकर उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना स्पष्ट है। इस प्रकार वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में देवीलाल के वारिसान में पत्नी मैना देवी व तीन पुत्र सुभाष, महेन्द्रसिंह, शिशपाल होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बी आर डब्ल्यु के खाता सं0 7/5 के मु0नं0 26 के किला नं0 1 से 3, 8 से 10 की 1.518 है0 किला नं0 11/1 की 0.139 है0 किला नं0 12, 13, 18, 19, 22, 23 की 1.518 है0 इस प्रकार कुल 3.175 है0 नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है व इसी प्रकार चक 5 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 4/5 के मु0नं0 4 के किला नं0 17 एवं 24 की 0.506 है0 नहरी मय रास्ता कृषि भूमि देवीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है उक्त दोनों चकों की कृषि भूमि में अकेले प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ (राज.)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राज.)
उपखण्ड (जिला हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 01/2019

अनवान :

1. सुभाष पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी गांव नेठराना।
2. महेन्द्रसिंह पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी नेठराना।
3. शिशपाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बी आर डब्ल्यु के खाता सं0 7/5 के मु0नं0 26 के किला नं0 1 से 3, 8 से 10 की 1.518 है0 किला नं0 11/1 की 0.139 है0 किला नं0 12, 13, 18, 19, 22, 23 की 1.518 है0 इस प्रकार कुल 3.175 है0 नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है व इसी प्रकार चक 5 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 4/5 के मु0नं0 4 के किला नं0 17 एवं 24 की 0.506 है0 नहरी मय रास्ता कृषि भूमि देवीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है उक्त दोनों चकों की कृषि भूमि में अकेले प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.2.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ (राज.)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राज.)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़